बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

विधि विभाग में गठित ''बिहार स्टेट लिटिगेशन सेल'' के लिए विधि पदाधिकारी के सृजित एक पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु निम्नांकित शर्त्तो के आधार पर राज्य न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के सेवा निवृत पदाधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है:-

(i) संविदा के आधार पर नियोजन अधिकतम एक वर्ष के लिए होगा।

(ii) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति की सेवा का विस्तार आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए उनके कार्यो की समीक्षोपरान्त अधिकत्तम 65 वर्ष की उम्र सीमा तक की जायेगी।

(iii) इच्छुक उम्मीदवारों का उम्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि को 64 वर्ष के अन्दर होना चाहिए।

(iv) वैसे सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो उच्च न्यायिक सेवा के पदाधिकारी रहे है, और विधि के पूर्ण जानकार तथा अनुभवी हो उक्त पद पर नियोजन के निमित्त आवेदन कर सकते है।

(v) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नही होगा।

(vi) एकल पद पर नियोजन हेतु आरक्षण का प्रावधन लागू नही है।

(vii) संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(viii) नियोजित व्यक्यि का मासिक मानदेय उन्हें सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतन से निर्धारित पेंशन की राशि घटाकर निर्धारित होगा, जिस पर अनुमान्य मंहागई भत्ता देय होगा, परन्तु पेंशन की राशि पर मंहगाई राहत देय नहीं होगा।

(ix) इच्छुक सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्ण विवरण एवं पी0पी0ओ0 की अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करेंगें। सिर्फ निबंधित डाक से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जायेगा। आवेदन-पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अन्दर अपराह्न 5.00 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। डाक में हुए बिलम्ब के लिए विभाग जिम्मेवार नही होगा।

अनुलग्नकः- आवेदन-पत्र का प्रारूप

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार

आवेदन–प्रपत्र

सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विधि पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन–पत्र का प्रपत्र

---

1. आवेदक का नाम :-
2. आवेदक के पिता/पति का नाम:-
3. स्थायी पता:-

कृपया स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ।

4. पत्राचार का पता :-
5. आवेदक की जन्म तिथि एवं सेवा निवृत्ति की तिथि :-

   (जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. जिला का नाम जहाँ से सेवा निवृत्त हुए है :-
7. सेवा निवृत्ति के समय पदनाम :-
8. सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन एवं अन्य

   मद में कुल प्राप्त होने वाली राशि :-
9. वर्त्तमान में पेंशन की राशि :-
10. मोबाईल नं0 :-
11. पी0पी0ओ0 नं0 :-

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है, और न ही अनुचित ढ़ंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई सूचना से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत/समाप्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर